

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
 पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे रनेहल नाना आई.ए.एस
 राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 52/2019 Gems No. 2019/00278
 दायरा तिथि : 08.08.2019
 प्राथमिक डिक्री दिनांक: 04.08.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 30-6-2022
 वादीगण :-

1. मदनसिंह पुत्र जोरसिंहजी
2. नरपतसिंह पुत्र जोरसिंहजी जातिगण राजपुत
निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरसिंह पुत्र जगतसिंहजी
2. कानसिंह पुत्र जगतसिंहजी
3. पदमसिंह पुत्र जगतसिंहजी
4. इन्द्रसिंह पुत्र जगतसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री नरपतसिंह चौहान अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार..... परोकार सरकार

--: निर्णय :-

दिनांक : 30-6-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1110/1 रकबा 0.58 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगानी 2.90 रुपये, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-01 से 04 के नाम संयुक्त तौर से खातेदारी में धारित की जा रही है, के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादीगणका 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-01 से 04 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट,स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति, प्रस्तुत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या-01 व 03 के सम्मन लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से वकील श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या-01 वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या-01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता द्वारा भी पर्याप्त समय अवसर के जबाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से तथा दिनांक 4.08.2021 को रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन के लिये सहमत होने पर उपस्थित वकुलाय की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1110/1 रकबा 0.58 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगानी 2.90 रुपये, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-01 से 04 के नाम संयुक्त तौर से खातेदारी में धारित की जा रही है, के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादीगणका 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-01 से 04 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट,स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.08.2021 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर पालना प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0310/ 2021/288 दिनांक 21.10.2021 से निम्नानुसार रिपोर्ट

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
मदनसिंह पुत्र जोरसिंह नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1110/1344	0.24	बारानी दायम	1.20	हरा
भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह कानसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह इन्द्रसिंह पुत्र जगतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1110/1337	0.24	बारानी दायम	1.20	

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
 बाली, जिला-पाली (राज.)

// 02 //

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 52/2019 Gems No. 2019/00278
अनवान मदनसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी श्री नरपतसिंह चौहान एवं वकील प्रतिवादी संख्या 02 से 04 श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकूलाय एवं वादी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट से दोनो पक्षों के वकूलाय एवं वादी स्वयं को किसी प्रकार का एतराज नहीं है, परन्तु तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वर्तमान में मूल खसरा नंबर 1110/1 रकबा 0.58 हेक्टर रिकार्ड में नहीं है, तथा कम्प्यूटराईज्ड खसरा नंबर 1337/1110 रकबा 0.48 हेक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज रहा है। तथा रकबा 0.10 हेक्टर गै.मु. रास्ता घोषित होने से खसरा नंबर 1336/1110 रकबा 0.10 हेक्टर जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1337/1110 रकबा 0.48 हेक्टर की रिकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत है। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम मोरीवेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1337/1110 रकबा 0.48 हेक्टर किरम बाराणी दोगम कुल लगान 2.40 रुपये के संबंध में तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/288 दिनांक 21.10.2021 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट. 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	किरम	लगान	विशेष विवरण
मदनसिंह पुत्र जोरसिंह नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1110/1344	0.24	बाराणी दोगम	1.20	हरा
भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह कानसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह इन्द्रसिंह पुत्र जगतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1110/1337	0.24	बाराणी दोगम	1.20	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 2.40 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शों में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी को लिखा जावे। पत्रावली फाईल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धारमदेव रमेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
 आई.ए.एस.
 बाली, जिला-पाली (राज.)
 पदेन सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 30-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पदेन सहायक कलेक्टर)
उपखण्ड अधिकारी
 बाली, जिला-पाली (राज.)

